

2016/00144

पंचायत

13/11/16

देवीचरण बराम प्रियेजीलाल

0-6-17 आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट  
आरल सेवा केंद्र राजौरा खुर्द पर पेश हुई। प्राथी  
ठ अप्रार्थीगण एका अप्रार्थीगण में कथन किया कि  
वह विवादिन आराजी पर कोई निर्माण नहीं कर  
रहा है। ना ही आगे कोई निर्माण कार्य करेगा।

अतः आदेश है कि अप्रार्थीगण पूर्व में जारी  
पत्रावली अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुसार चलना है निर्णय  
तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होना।  
पत्रावली केसल शुमार होकर दायरे दफ्तरी

शमलीका

नि. देवीचरण

नि. देवीचरण

नि. देवीचरण

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)  
ग्राम पंचायत .....

